न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– (आंगनबाड़ी)विविध वाद सं0–23/2015–16 नीलम कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य राजमणि कुमारी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	**आदेश** यह अपील वाद श्रीमती नीलम कुमारी पति श्री आनन्द मोहन सिंह, ग्राम+पो0–राननगरमठ, ग्राम पंचायत राज लाभगॉव, थाना+जिला–खगड़िया द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 03.07.15 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपीलवाद में कहा गया है कि दिनांक 29.08.2012 को आम सभा बुलायी गयी। आम सभा में सर्वसम्मति से विभागीय निदेशानुसार अपीलार्थी का सेविका पद पर चयन किया गया एवं सहायिका पद पर सुधा देवी को चयन किया गया। उनका यह भी कहना है कि उत्तरवादी राजमणि कमारी न तो वार्ड नं0–1 के अनर्गत निवास करती है और ना ही आम सभा दिनांक 29.08.2012 को स्वयं उपस्थित ही थी। इसलिए उत्तरवादी राजमणि कमारी का यह आरोप कि आम सभा की बैठक में चयनित उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किए बिना चयन किया गया है, तथ्यहीन एवं आधारहीन है। राजमणि कुमारी का यह आरोप भी निराधार है कि चयनित सेविका नीलम कुमारी का मेघा सूची में नाम सबसे नीचे था एवं नीलम कुमारी का घर आंगनबाड़ी केन्द्र से एक किलोमीटर की दूरी पर है। आपीलार्थी नीलम कुमारी पर फौजदारी मुकदमा चल रहा है एवं उसकी उम्र 41 वर्ष से ज्यादा है ,यह आरोप भी तथ्यहीन एवं निराधार है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बिना विधिवत जॉच के एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन किए ही तथाकथित रूप से बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के अपीलार्थी नीलम कुमारी को सेविका पद से चयन मुक्ति का आदेश बिना सुनवाई किए ही कर दिया गया जो विधिक एवं तथ्यगत दोनों ही रूप से खारिज योग्य है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुने बिना ही अंतिम आदेश दिनांक 03.07.15 की तिथि में पारित कर दिया, इसलिए मार्गर्शिका की धारा 10.2 में वर्णित प्रावधान का पूर्ण रूपेण उल्लंघन हुआ है, इसलिए केवल इस कारण से निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। उनका यह भी कहना है कि दिनांक 29.08.12 को आम सभा की बैठक में अपीलार्थी को सेविका के रूप में विधिवत चयन किया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर जब आवेदिका को चयन पत्र एवं प्रशिक्षण हेतु पत्र नहीं मिला तब अपीलार्थी ने जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में दिनांक 17.07.14 को एक	

लिखित शिकायत पत्र दायर किया, तत्पश्चात अपीलार्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.14 को चयन पत्र दिया एवं 03.01.15 को प्रशिक्षण हेतु पत्र दिया गया। तदनुसार अपीलार्थी दिनाक 05.01.15 से 05.02.15 तक नूतन विकास बिहार आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र समस्तीपुर में अपना प्रशिक्षण कार्य पूरा किया। तत्पश्चात विभागीय निदेशानुसार सेविका पद पर कार्यरत होकर नियमानुकूल कार्य संचालन करती रही है। इस प्रकार अपीलार्थी को विधिवत चयन कर सेविका पद पर कार्यरत किया, इसलिए आवेदिका के विरूद्ध चयन मुक्ति का आदेश पूर्णतः अवैधानिक है।

उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय ने अपने निर्णय की कंडिका क्रम सं0–2 में यह लिखा है कि आम सभा पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपस्थित लोगों की संख्या मात्र 48 है जो कि मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 3.12 के अनुसार कम से कम 20 प्रतशत उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन वह 20 प्रतिशत की संख्या कैसी होगी ऐसा अपने आदेश में नहीं लिखा है। उनका यह भी कहना है कि दिनांक 29.8.12 के आम सभा में ही सहायिका का भी चयन हुआ था, लेकिन एक तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सेविका के चयन को अनियमितता बताते हुए चयन मुक्ति का आदेश पारित कर दिया, लेकिन सहायिका के चयन में कोई त्रुटि नहीं पायी, जो परस्पर विरोधाभासी मंतव्य एवं आदेश है। निम्न न्यायालय ने एंटीडेटेड दिनाक 3.07.15 की तिथि में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी के विरूद्ध चयन मुक्ति का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलार्थी के चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय आंगनाड़ी वाद सं0–5/115 के मूल अभिलेख की मांग की जाय एवं उभय पक्षों को सुनने के पश्चात आंगनबाड़ी सेविका वाद सं0–5/15 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.15 को निरस्त किया जाय।

विपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा लाया गया अपील तिथि एवं तथ्यों के आधार पर खारिज योग्य है। उनका यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत राज लाभगाछ आर्ड सं0–01 के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयनित उम्मीदवार नीलम वर्मा का बिना किसी चयन प्रकिया अपनाये हुए सेविका पद पर चयन किया गया। आम सभा की बैठक में चयनित उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किए वगैर चयन कर लिया गया तथा इसके पश्चात कोई आम सभा नहीं किया गया। इस अवधि में दोबारा उक्त केन्द्र पर फार्म भरने हेतु तिथि प्रकाशित किया गया जिसमें उत्तरवादी सं0–1 राजमणि कुमारी द्वारा भी फार्म भरा गया। मेधा सूची प्रकाशन होने पर नीलम वर्मा का नाम सबसे नीचे था और नीलम वर्मा पूर्व से आशा के पद पर कार्यरत थी। एवं उसका घर आंगबाड़ी केंद्र से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि उत्तरवादी संख्य–1 राजमणि

पुनारी का घर कद्र से सटा हुआ है। नीलम वर्मा अपीलार्थी पर फौजदारी मुकदमा न्यायालय में लंबित है। नीलम वर्मा का मतदाता पहचान पत्र के आधार पर 41 वर्ष से ज्यादा उम्र है। उनका यह भी कहना है कि 29.8.2012 को कोई आम सभा की बैठक हुई ही नहीं। वर्ष 2013 एवं 2014 में भी विज्ञापन प्रकाशन किया गया जिसमें उत्तरवादनी ने विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया। जब अपीलार्थी का आम सभा के माध्यम से चयन हो चुका था तो दूसरा, तीसरा विज्ञापन प्रकाशन कर आवेदन क्यों लिया गया। इससे साफ स्पष्ट है कि चयन में अनियमितता बरती गयी है। उक्त अनियमितता के कारण ही ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी ने आदेश दिनांक 03.07.2015 में अपीलार्थी के चयन से मुक्ति का आदेश पारित किया है।

अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन किया। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है राजमणि कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के यहॉ वाद दायर किया गया कि ग्राम पंचायत राज लाभगॉव वार्ड न0–01 थाना–गंगौर (खगड़िया) के अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयनित उम्मीदवार नीलम वर्मा का बिना प्रक्रिया अपनाये उक्त पद पर चयनित कर लिया गया है। आम सभा की बैठक में चयनित उम्मीदार का नाम प्रस्तावित किये वगैर चयन किया गया तथा इसके पश्चात कोई आम सभा नहीं किया गया। इस अवधि में दो बार फार्म भरने हेतु तिथि प्रकाशित किया गया, जिसमें राजमणि कुमारी द्वारा भी फार्म भरा गया। मेधा सूची के प्रकाशन होने पर नीलम वर्मा का नाम सबसे नीचे था, नीलम वर्मा पूर्व से आशा के पद पर कार्यरत थी एवं उनका घर ऑगनबाड़ी केन्द्र से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही नीलम वर्मा पर एक फौजदारी मुकदमा न्यायालय में चल रहा है नीलम वर्मा का उक्त मतदाता पहचान पत्र के आधार पर 41 वर्ष से ज्यादा उम्र है। राजमणि देवी द्वारा नीलम वर्मा के चयन को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी नीलम वर्मा का कहना था कि उनका चयन विधिवत आम सभा के माध्यम से किया गया है। आम सभा का सभी साक्ष्य मौजूद है। चयन पत्र मुझे देरी से दिया गया है। चयन पत्र देरी का कारण उन्होंने बताया कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उपर साजिश कर केस में नाम दे दिया गया। इसी के वजह से चयन पत्र लेने में देरी की गयी।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया ने अपने पत्रांक 599 दिनांक 10.07.15 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 29.08.12 के आम सभा में नीलम देवी के चयन संबंधी निर्णय लेने के पश्चात दूसरे दिन करीब 10 (दस) व्यक्ति द्वारा परियोजना कार्यालय में काफी हल्ला हंगाम किया गया एवं नीलम देवी के चयन के विरूद्ध लिखकर परियोजना कार्यालय में दिया गया कि नीलम देवी के उपर कोर्ट में वाद चल रहा है। फलतः श्रीमती नीलम देवी को चयन पत्र नहीं दिया गया। इस अवधि में विभाग द्वारा बार–बार सेविका/सहायिका के रिक्त पद की मांग की गयी थी। फलतः भुलवश इस केन्द्र का भी विज्ञापन दे दिया गया। विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात श्रीमती नीलम देवी द्वारा न्यायालय से दोषमुक्त का प्रमाण पत्र समर्पित करने के पश्चात श्रीमति नीलम देवी पति आनन्द मोहन सिंह का चयन पत्र दे दिया गया।

अपीलार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है। दैनिक समचार पत्र ''दैनिक जागरण'' एवं ''प्रभात खबर'' में 15 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित कराया गया। लेकिन फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का चयन आम सभा से किया गया है और उसी आम सभा से सहायिका का भी चयन किया गया है लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा सहायिका के चयन को रद्द नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत योग्य है।

निम्न न्यायालय द्वारा यह कहना कि आम सभा में उपस्थित लोगों की संख्या मात्र 48 है, जो मार्गदर्शिका 2011 की कंडिका 8.12 के अनुसार कम से कम 20 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन निम्न न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पोषक क्षेत्र की कुल आवादी वास्तव में कितनी है तथा आम सभा के लिए ग्रामीणों से 20 प्रतिशत कम–से–कम कितने लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि नीलम वर्मा पूर्व से आशा के पद पर कार्यरत थी, इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 03.07.15 को पारित आदेश को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला पदाधिकारी
खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता
खगड़िया

ज्ञापांक 452 / विधि दिनांक 27/11/2017
प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी खगड़िया को निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
27/11/17